

प्रेस नोट दिनांक 11.11.2020

1. दिनांक 10.11.20 को वादी श्री वीरेन्द्र कुमार पुत्र परशुराम निरो शिवराम का पुरवा सरेठी थाना कोअयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात ट्रक का चालक नाम पता अज्ञात अज्ञात ट्रक चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के बाबा को टक्कर मार देना जिससे मृत्यु हो जाना जिसके संबंध में थाना कोअयोध्या में मुआओसं 794 / 20 धारा 279, 304 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 10.11.20 को वादी श्री ओमप्रकाश दूबे पुत्र जगजीवन दूबे निरो विश्वनूपुर सारा थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन सं 0 यूपी 42 बी 2143 मोओसा० का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मान देना जिससे वादी का गम्भीर रूप से घायल हो जाना जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मुआओसं 624 / 20 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 10.11.20 को वादी श्री उमाशंकर जायसवाल पुत्र जानकी प्रसाद निरो उनियार बाजार थाना गोसाईगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात ट्रैक्टर चालक अज्ञात ट्रैक्टर चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के घर में टक्कर मार देना जिससे क्षत्रिगस्त्र हो जाना जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मुआओसं 489 / 20 धारा 279, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 10.11.20 को वादी श्री रामरंग यादव ग्राम प्रधान जरही थाना महराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अजीत सिंह पुत्र गुड़दू सिंह निरो जरही थाना महराजगंज अयोध्या आदि 04 नफर अभिगणों द्वारा सामुदायिक शौचालय का दीवाल तोड़ कर गिरा देना जिसके संबंध में थाना महराजगंज में मुआओसं 477 / 20 धारा 3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिरो का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 10.11.20 को वादी का० नरेन्द्र देव मिश्र थाना तारून अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि बाढ़ निषाद पुत्र रामभरोसे निरो गंगापुर थाना तारून अयोध्या गिरो अभिरो के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना तारून में मुआओसं 446 / 20 धारा 60 आबकारी अधिरो का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 10.11.20 को वादी उ०निरो श्री वीरेन्द्र कुमार पाल थाना को०रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शहजादे पुत्र शेरू निरो कस्बा रुदौली थाना रुदौली अयोध्या गिरो अभिरो के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना को०रुदौली में मुआओसं 459 / 20 धारा 60 आबकारी अधिरो का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 10.11.20 को वादी उ०निरो श्री रणजीत सिंह यादव थाना को०रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि हंसराज पुत्र रामबली निरो ऐहार थाना को०रुदौली अयोध्या गिरो अभिरो के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना को०रुदौली में मुआओसं 460 / 20 धारा 60 आबकारी अधिरो का अभियोग पंजीकृत किया गया।